

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या-1, महाराजगंज
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-736/2026

सूरज बनाम उ०प्र०राज्य

29.06.2026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। आवेदक की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न दिये जाने का पृष्ठांकन किया गया है।

अतः जमानत प्रार्थना पत्र पर बल न दिये जाने के कारण यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है और तदनुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

29.06.2026

(शैलेन्द्र वर्मा)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या-1, महाराजगंज
आई 0 डी0 संख्या-यू0 पी0 6426